संचालनालय संस्थागत् वित्त

विन्ध्याचल भवन, ''सी'' विंग प्रथम तल, भोपाल म.प्र.

प्रपत्र–एक

(तकनीकी प्रस्ताव)

निविदा की शर्ते

1. निविदा आवेदन प्रपत्र राशि रु0 500/–रुपये पॉच सौ मात्र के नगद भुगतान (वापसी योग्य नहीं) द्वारा कार्यालय से दिनांक 17/06/2018 को अपरान्ह 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

2. ऐसे निविदाकर्ता जिन्होंने कार्यालय की वेबसाइट से निविदा आवेदन प्रपत्र प्राप्त किये है को कार्यालय में निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निविदा आवेदन प्रपत्र के रुप में देय शुल्क राशि रु0 500/–रुपये पॉच सौ मात्र नगद ;वापसी योग्य नहीं जमा करनी होगी।
3. निविदाकर्ता से वाहन चालक के पद हेतु 2 वर्ष की सेवाओं के लिये अनुबंध किया जायेगा। उक्त अवधि दोनों पक्षों की सहमति से आगामी अवधि के लिये समान सेवा शर्तो पर बढ़ाई जा सकेगी।
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव पृथक–पृथक बंद लिफाफे में **दिनांक 18/06/2018** को **अपरान्ह 3.00 बजे** तक कार्यालय में स्वीकार किये जावेंगे, तथा उसी दिन **अपरान्ह 3.30 बजे** तकनीकी निविदा प्रस्ताव खोले जावेगें। तकनीकी रुप से सक्षम पाये निविदाकारो के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगें।
5. निविदकार्ता को निविदा के साथ EMD (Earnest Money Deposit) के रुप में राशि रु0 20,000/–(रुपये बीस हजार मात्र) का सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा जारी) आयुक्त, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जो निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर वापिस देय होगा। जिस फर्म की निविदा स्वीकार की जायेगी उस फर्म की EMD (Earnest Money Deposit) धरोहर राशि के रुप में रखी जावेगी, जो अनुबंध की अवधि समाप्ति उपरान्त वापस देय होगा।
6. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोलते समय निविदाकर्ता/प्रदायकर्ता फर्म के अधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
7. तकनीकी रूप से सक्षम पाये गये निविदाकारों में से न्यूनतम वित्तीय निविदा आधार पर प्रदायकर्ता फर्म को स्वीकार किये जाने पर निर्णय लिया जावेगा।
8. निर्धारित समयावधि उपरान्त प्राप्त निविदा प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. प्रस्तुत निविदा प्रस्ताव में किसी भी गलत जानकारी के लिए प्रदायकर्ता फर्म स्वयं जिम्मेदार होंगे।
10. निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकार स्वतः अपात्र माना जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर प्रदायकर्ता फर्म को स्वयं के खर्च पर निर्धारित शुल्क के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निविदा स्वीकृति से 07 दिवस के अंदर करना होगा। यदि न्यूनतम निविदाकार किसी कारण से अनुबंध निर्धारित समय–सीमा में हस्ताक्षरित

नहीं करता है तो दूसरे न्यूनतम निविदाकार को अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा, किन्तु दरें न्यूनतम निविदा की लागू होगी।

12. दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरांत ही अनुबंध पूर्ण माना जाएगा।

13. आयुक्त, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश को किसी भी निविदा प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकार करने, निविदा प्रस्ताव की प्रक्रिया को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रोकने का अधिकार होगा।

14. किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार आयुक्त, संचालनालय संस्थागत् वित्त, भोपाल के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा।

प्रति हस्ताक्षर

प्रदायकर्ता फर्म के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश, भोपाल

संविदा आधार पर वाहन चालक की सेवायें प्रदान करने हेतु आवेदन
प्रपत्र–दो
(तकनीकी प्रस्ताव)

प्रति,

आयुक्त,
संस्थागत् वित्त,
विन्ध्याचल भवन,
भोपाल, म.प्र.,

विषयः– संविदा आधार पर सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता फर्म का विवरण।

–0–

1.	फर्म का नामः–	
2.	पताः–	
3.	सम्पर्क–व्यक्ति का नाम पताः–	
4.	दूरभाष, फैक्स, ई–मेल, वेबसाइटः–	
5.	सावधि जमा राशि रु0 20,000/– को संलग्न करें, सावधि जमा राशि का क्रमांक	
6.	फर्म द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतिः– (1)पंजीकृत रजिस्टेशन क्रमांक– (2)टिन नम्बरः– (3)Employee Registration No(EPF) (4)ESIC No- (5)GST / CGST	
7.	फर्म के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न में दर्शायी आय (रिटर्न की छाया प्रति तथा पेनकार्ड की छाया प्रति)	
8.	सेवाकर प्रदाता के रुप में पंजीयन क्रमांक (छाया प्रति सहित)	
9.	वाहन चालकों के नाम एवं वैध लायसेंस (छाया प्रति सहित) (पृथक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित जानकारी संलग्न करें)	**क्रमांक नाम मोबाईल नंबर लायसेंस क्रमांक लायसेंस की वैधता**
10.	वाहन चालकों का कार्य अनुभव का विवरण–	
11.	वाहन चालक का मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड/आई.डी. की छाया प्रति,	

12.	प्रदायकर्ता फर्म के बैंक खाता का विवरण–	

13 **<u>संविदा के आधार पर रखे जाने वाले वाहन चालक हेतु प्रदायकर्ता फर्म द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें</u>**

13.1 वाहन चालक का वैध लायसेंस होना चाहिये एवं कम से कम पॉच वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।

13.2 वाहन चालक को कार्यालय की आवश्यकता अनुसार कार्य संपादित करना होगा। आवश्यकता अनुसार मुख्यालय के बाहर भी वाहन चलाना होगा। यदि वाहन चालक को मुख्यालय के बाहर एक दिवस से अधिक विश्राम करना होगा तो उसे ठहरने के लिये रु0 375/– प्रतिदिन राजभोगी शहरो के लिये तथा रु0 250/– प्रतिदिन अन्य स्थानों के लिये देय होगा। इसके अतिरिक्त दैनिक भत्ता रु0 70/– भी देय होगा।

13.3 वाहन चालक की अनुपस्थिति में उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता फर्म की होगी। वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा प्रतिदिन देय राशि के कटौत्रे के अतिरिक्त 5 प्रतिशत और कटौत्रा किया जायेगा।

13.4 संबंधितों की सेवायें संतोषप्रद न होने पर उनकी सेवायें वापिस की जायेगी। व अन्य उपयुक्त वाहन चालक संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा तत्काल उपलब्ध कराने होंगे।

13.5 वाहन चालक को प्रतिदिन लॉगबुक संधारित करना आवश्यक होगा एवं वाहन प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करना होगें।

13.6 वाहन चालकों को स्वच्छ वर्दी पहनना होगा। इसके लिये कार्यालय के द्वारा कोई राशि पृथक से देय नहीं होगी।

13.7 अपेक्षित आचरण संहिता:–

13.7.1 वाहन चालकों का मानसिक एवं शारीरिक स्तर अच्छा होना चाहिए।

13.7.2 संबंधितों का आचरण अच्छा होना चाहिये व उन्हें सम्मानजनक व्यवहार करना होगा।

13.7.3 उन्हें कार्यप्रणाली में लचीलापन एवं व्यवहारिकता रखनी होगी।

13.7.4 सहयोगी कर्मचारियों से टीम भावना से व्यवहार करना होगा।

13.7.5 वाहन का दैनांदिनी रख–रखाव का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा।

13.8 प्रदायकर्ता द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह की 05 तारीख तक देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत देयक का भुगतान सेवा प्रदायकर्ता फर्म के बैंक अकाउंट में किया जायेगा।

13.9 संबंधितों की सेवाओं का भुगतान उनकी नियमित उपस्थिति, उनके द्वारा समय पर कार्य पूर्ण करने एवं संतोषप्रद होने पर ही किया जावेगा।

13.10 वाहन चालक जिस वाहन का संचालन करेगा, उसकी पर्याप्त सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता फर्म की होगी। उपयुर्क्त जिम्मेदारी का निर्वहन न किये जाने पर प्रदायकर्ता फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13.11 प्रदायकर्ता फर्म द्वारा निविदा में उल्लेखित संख्या में वाहन चालक उपलब्ध कराने होगें। जो भविष्य में आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगें, जिसके लिये भुगतान निवेदित दर पर किया जावेगा।

13.12 संबंधितों को उनकी सेवाओं के एवज में भुगतान संबंधित फर्म के माध्यम से किया जावेगा। प्रदायकर्ता फर्म का यह दायित्व रहेगा कि सभी संबंधित नियम जैसे श्रम नियम, भविष्य निधि नियम, कर्मचारी बीमा योजना आदि का पालन सुनिश्चित् किया जावे। संबंधित वाहन चालक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) के अनुसार भुगतान सुनिश्चित हो। न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तन होने पर परिवर्तित दर पर भुगतान किया जाएगा ।

13.13 प्रदायकर्ता फर्म को देय राशि में से नियमानुसार आयकर/ GST / CGST (जैसा लागू हो) की कटौत्री की जायेगी।

13.14 प्रदायकर्ता फर्म को प्रचलित दरों पर GST / CGST की राशि देय होगी, जिसे नियमानुसार जमा करने का दायित्व प्रदायकर्ता का होगा।

13.15 अन्य किसी प्रकार के कर/शुल्क के भुगतान का दायित्व प्रदायकर्ता फर्म का होगी।

13.16 एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार आयुक्त संस्थागत् वित्त का होगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थिति उद्‌भूत होने पर प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

प्रदायकर्ता फर्म के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

संचालनालय संस्थागत् वित्त

विन्ध्याचल भवन, ''सी'' विंग प्रथम तल, भोपाल म.प्र.

प्रपत्र–तीन
(वित्तीय प्रस्ताव)

अनुबंध का संदर्भः– ————————————

प्रदायकर्ता फर्म का नामः– ————————————

फर्म का पताः– ————————————

बैंक खाता का विवरणः– ————————————

		राशि रुपये में	राशि शब्दों में
(अ)	प्रतिमाह निवेदित राशि– (i) मजदूरी की राशि (ii) भविष्य निधि अंशदान की राशि (iii) कर्मचारी राज्यन बीमा अंशदान की राशि (iv) एजेन्सीी चार्जेस (अ)= (i+ ii+ iii + iv)		
(ब)	वाहन चालक	3	तीन
(स)	कुल निवेदित राशि **(अXब)**		
(द)	उक्त राशि पर देय GST / CGST (वर्तमान की दर से)		
(इ)	कुल राशि **(द+स)**		

1. शब्दों तथा अंकों में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में दर्शायी राशि को मान्य किया जावेगा।
2. उक्त प्रपत्र के कालम **''इ''** में दर्शायी राशि को वित्तीय प्रस्ताव के आकलन हेतु लिया जावेगा।

प्रदायकर्ता फर्म के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर